रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235561
CG-DL-E-05052022-235561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1976] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944
No. 1976] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

का.आ. 2077(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले के दो वन सीमाओं अर्थात् पालमानेर और कुप्पम और पांच राजस्व मंडल अर्थात् कुप्पम, रामाकुप्पम, बैरेद्दीपल्ली, पालमानेर एवं वी. कोटा में विस्तार 357.63 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है;

और, कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य धारा 26-ए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 (केंद्रीय अधिनियम सं. 1972 का 53) के अधीन जी.ओ.एमएस. संख्या 82, पर्यावरण वन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (फॉर.III) तारीख 27.6.1998 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। अभयारण्य आकार में रैखिक है और लगभग 70 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में 1 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की विभिन्न चौड़ाई के साथ फैला हुआ है और इसकी कुल परिधि लगभग 224 किलोमीटर है। अभयारण्य का पूर्वी भाग तमिलनाडु के वनों द्वारा सीमांकित है, दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश के गैर-वन भूमियों द्वारा आच्छादित है;

और, कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य बहुत अनोखा है और हाथियों के लिए महत्त्वपूर्ण गलियारा है और आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों तक तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों से उनके प्रवासी मार्ग पर स्थित है और तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों द्वारा घिरे हुए आंध्र प्रदेश के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस अभयारण्य में वृक्षों, झाड़ियों एंव जड़ी-बूटियों सहित पौधों की 203 प्रजातियां, स्तनधारियों की 25 प्रजातियां, पक्षियों की 103 प्रजातियां, उभयचरों की 18 प्रजातियां, सरीसृपों की 18 प्रजातियां और अकशेरूकियों की 396 से अधिक प्रजातियां है;

और, कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति विविधता में स्थानिक प्रजातियों जैसे जालारी (*शोरिया रोक्सबुरघी, एस. तालुरा*) और तंबा जालारी (*शोरिया तुमबुग्गिया*) सहित शुष्क पर्णपाती से शुष्क सदाहरित प्रजातियों तक की श्रेणियां है। यह क्षेत्र मैसूर पठार, चंदन क्षेत्र के यहां कई स्थानों में, चंदन (*सेंटलम एल्बम*) प्राकृतिक रूप से निकटस्थ भाग होने के कारण उगता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियां *फिकस रिलिजिओसा, अल्बिज़िया अमारा, डेंड्रोकलामस स्ट्रिक्टस, बमबुसा अरुन्डासेई, फिकस बेनघालेनसिस, फिकस एसपी.* (जुव्वी), *अगेव, फेरोनिया ऐलिफेंटम, ऐगल मार्मेलोस, खासी गाड्डी, बिक्की, उलिंजा, अल्ली, कालिवी, डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलिन, मांजिफेरा, कोमिथोरा कौडाटा* (मेट्टा मामिडी), *डायोस्कोरिया पेंटाफीला, मधुका इंडिका, ज़िज़ीफ़स ओएनोप्लिया, ज़िज़ीफ़स ज़ुज़बा, एमब्लिका अफ्फिसिनालिस* आदि हैं;

और, क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य जीवजंतु तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), लकड़बग्घा (*हयाएना हयाएना*), स्लोथ बेयर (*मेलुरसस उर्सिनस*), इंडियन फॉक्स (*वलपेस बेंगालेंसिस*), गोल्डन जैकल (*कानिस ऑरेयस*), *जंगली कुत्ता* (*कुओन अल्पिइनेस*), भेड़िया (*कानिस लुपस*), धूसर नेवला (*हरपेस्टेस एडवड्सी*), स्मॉल इंडियन सिवेट (वेरिकुला *इंडिका*), सामान्य मुसंग (*पैराडोक्सुरस हेर्माफ्रोडिटस*), इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (*टेरोपस गिगांटेस*), इंडियन पैंगोलिन (*मानिस क्रास्सिकुडाटा*), इंडियन पॉर्क्यूपाइन (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), थरी-स्ट्रिप्ड पाम स्क्वेरिल (*फ़ुनामबुलस पामारम*), ब्लैकनेप्ड खरगोश (*लेपस निग्रिकोलिसनिग्रिकोलिस*), इंडियन हाथी (*ऐलिफस मैक्सिमस*) इंडियन बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), चौसिंघा (*टेट्रासेरस क्वाड्रिकोरनिस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुंटियाकस मुंटजाक*), पिसूरी (*मोसचिओला मेम्मिना*), बोन्नेट मैकाक (*मकाका राडियआटा*), हुनुमन लंगूर (*सेमनोपिथेकस एंटेल्लस*), तवांगु (*लोरिस लीड्डेकेरिअनस*), आदि पाए जाते हैं;

और, कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 1 किलोमीटर से 12 किलोमीटर है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 315.84 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन आंध्र प्रदेश में सीमित है और तमिलनाडु में अनुप्रस्थ नहीं है।

(2) कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक–II क** और **अनुलग्नक–II ख** के रूप में संलग्न है।

(4) कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** के सारणी-**क** और सारणी-**ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक–IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

i. पर्यावरण;
ii. वन और वन्यजीव;
iii. कृषि;
iv. राजस्व;
v. शहरी विकास;
vi. पर्यटन;
vii. ग्रामीण विकास;
viii. सिचांई और बाढ़ नियंत्रण;
ix. नगरपालिका;
x. पंचायती राज; और
xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जलाशयों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना और किसी भी नई विकासात्मक क्रियाकलापों का लंबित अनुमोदन पैरा 6 के उप-पैरा (3) और (4) में निर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि

की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएंगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त ,2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के

		वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	वृक्षों की कटाई ।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान

		कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए विस्फोटक पदार्थों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारीगरी, आदि सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामत:

क्र.सं.	निगरानी समिति के अंग	पद
(i)	उप-जिलाधीश, मदनापल्ली	अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जैव विविधता के विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	वन सीमा अधिकारी, पालमनेर	सदस्य;
(vi)	वन सीमा अधिकारी, कुप्पम	सदस्य;
(vii)	संभागीय पंचायत अधिकारी, मदनापल्ली	सदस्य;
(viii)	अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरूपति	सदस्य;
(ix)	संभागीय वन अधिकारी, चित्तूर, पश्चिम संभाग	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/9/2021-ईएसजेड]

एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक – I

कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश की सीमा का विवरण

<u>दक्षिण (1 से 3)</u> :-

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा स्टेशन सं. 1, (जी पी एस निर्देशांक 12.65839° उ, 78.47115° पू के साथ) से आरंभ होती है जो कि तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा पर और कुप्पम रेंज के कंगुंडी आर एफ के कम्पार्टमेंट सं. 335 के दक्षिणी छोर के कोने में भी स्थित है। इसके बाद, यह रेखा स्टेशन सं. 2 (12.64907° उ, 78.47186° पू) तक अंतरराज्यीय सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है, और इसके बाद अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में स्टेशन सं. 3 (12.67216° उ, 78.41274° पू) तक उत्तर-पश्चिम दिशा (12.665787, 78.44878) में जाती है।

पश्चिम (3 से 13) :-

इसके बाद, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा 1 किलोमीटर की दूरी में अभयारण्य की सीमा के समानांतर वेपूर एवं मीट्टापल्ली ग्रामों के गैर वन क्षेत्र से होते हुए स्टेशन सं. 3 से स्टेशन सं. 4 (12.73463° उ, 78.41150° पू) तक उत्तरी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद, स्टेशन सं. 4 से यह रेखा कंपार्टमेंट सं. 345, 346, 347 में कंगुंडी आर एफ सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और इसके बाद, कंपार्टमेंट सं. 348 के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाती है और इसके बाद, कंपार्टमेंट सं. 349, 350, 351, 352 के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद, स्टेशन सं. 5 (12.80265, 78.48770) तक कंपार्टमेंट सं. 359 के साथ उत्तर-पूर्वी में जाती है। इसके बाद, 1 किलोमीटर की दूरी में अभयारण्य की सीमा के समानांतर स्टेशन सं. 6 (12.84103, 78.52608) तक पहुंचकर ईप्पालावरम, जीदीमाकुलापल्ली ग्रामों के गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए जाती है और इसके बाद, यह सीमा रेखा कंपार्टमेंट सं. 372 में पेद्दूर एक्सटेंशन आर एफ सीमा के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद, स्टेशन सं. 7 (12.88921, 78.56624) पहुंचकर कंपार्टमेंट सं. 373 के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में जाती है। इसके बाद, स्टेशन सं. 7 से यह कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में गोल्लापल्ली एवं कोट्टूरू ग्रामों के गेर-वन क्षेत्रों से होते हुए स्टेशन सं. 8 (12.90338, 78.57827) जाती है। इसके बाद, यह स्टेशन सं. 9 (12.93130, 78.59604) तक कंपार्टमेंट सं. 375,376 में पेड्डूरु एक्सटेंशन आर एफ सीमा के साथ जाती है। इसके बाद, यह सीमा रेखा स्टेशन सं. 10 (12.93932, 78.60041) तक रिज़र्व वन सीमा के साथ होते हुए जाती है और यहां से यह 1 किलोमीटर की दूरी में अभयारण्य सीमा के समानांतर लींगापुरम ग्राम एवं जीतलागुट्टा वंका के गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए स्टेशन सं. 12 (12.95597, 78.60335) तक स्टेशन सं. 11 (12.94798, 78.60409) से होते हुए जाती है। इसके बाद, यह सीमा रेखा कंपार्टमेंट सं. 257, 256, 255, 253, 252, 251 में पी एन डी आर एफ सीमा और स्टेशन सं. 13 (13.06344, 78.53835) तक कंपार्टमेंट सं. 246, 245 में थोटाकनुमा आर एफ के साथ जाती है।

उत्तर (13 से 27) :-

इसके बाद, यह सीमा रेखा स्टेशन सं. 14 (13.03140, 78.60819) तक कंपार्टमेंट सं. 245, 246, 247, 248, 249, 250,259 में थोटाकनुमा आर एफ सीमा के साथ स्टेशन सं. 13 से जाती है। इसके बाद, यह सीमा रेखा 1 किलोमीटर की दूरी में अभयारण्य सीमा के समानांतर स्टेशन सं. 15 (13.04552, 78.63088) तक इंगामवरीपल्ली ग्राम के गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए जाती है। इसके बाद, यह सीमा रेखा स्टेशन सं. 16 (13.05646, 78.66594) तक कंपार्टमेंट सं. 264, 265, 266, 267 में नेल्लीपटला आर एफ सीमा के साथ जाती है। इसके बाद, सीमा रेखा 1 किलोमीटर की दूरी में अभयारण्य की सीमा के समानांतर स्टेशन सं. 18 (13.06027, 78.70005) तक स्टेशन सं. 17 (13.05245, 78.69891) से होते हुए थीम्मायागरीपल्ली, नाल्लागुन्टापल्ली, रगुनायाकुलादीन्नो ग्रामों के गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए जाती है और इसके बाद, यह कंपार्टमेंट सं. 288, 289, 287, 286 में वीरलाबंदा आर एफ सीमा सहित और स्टेशन सं. 19 (13.142659, 78.642862) एवं स्टेशन सं. 20 (13.159136, 78.721303) तक कंपार्टमेंट सं. 278, 277, 276 में बसीवीरेद्दीपल्ली आर एफ सीमा सहित कंपार्टमेंट सं. 281, 282, 283 में बसीवीरेद्दीपल्ली 'ए' आर एफ और कंपार्टमेंट सं. 280,284 में बसीवीरेद्दीपल्ली 'बी' आर एफ सहित स्टेशन सं. 21 (13.09851, 78.74399) तक जाती है। इसके बाद, स्टेशन सं. 23 (13.12579, 78.76208) से होकर स्टेशन सं. 22 (13.10920, 78.77333) तक पहुंचकर 1 किलोमीटर की दूरी में अभयारण्य की सीमा के समानांतर मद्दीपेटा, कोट्टूर ग्रामों के गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए जाती है। इसके बाद, यह सीमा रेखा स्टेशन सं. 24 (13.14935, 78.76803) पहुंचकर कंपार्टमेंट सं. 296 में मुसलीमदुगु एक्सटेंशन आर एफ के साथ जाती है यहां यह रिजर्व वन छोड़कर और कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए स्टेशन सं. 25 (13.15752, 78.77685°) तक जाती है। इसके बाद, यह सीमा रेखा स्टेशन सं. 26 (13.20397,

78.76999) तक कंपार्टमेंट सं. 307, 308, 309 में पालमनेर आर एफ के साथ जाती है। इसके बाद, यह सं. 309 एवं 384 सहित बिंदु सं. 27 (13.18684, 78.82212) पहुंचकर ब्लैक टॉप रोड़ (चित्तूर में पालमनेर) तक जाती है।

पूर्व (27 से 33) :-

इसके बाद, यह रेखा स्टेशन सं. 28 (13.16914, 78.82888) तक कंपार्टमेंट सं. 384, 305 में एक टेकुमनदा एवं एक्सटेंशन आर एफ की आर एफ सीमाओं के साथ जाती है। इसके बाद, यह रेखा स्टेशन सं. 29 (13.14158, 78.85608) तक अभयारण्य की सीमा के समानांतर जाती है जहां यह वन क्षेत्रों में प्रवेश करती है और कंपार्टमेंट सं. 199 के वन क्षेत्रों से होते हुए स्टेशन सं. 30 (13.12889, 78.85957) तक जाती है। इसके बाद, यह रेखा स्टेशन सं. 32 (13.08325°, 78.83023°) तक पहुंचकर स्टेशन सं. 31 (13.11507°, 78.86481°) से होते हुए अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में कीरामंडा, कोडलामादुगु, बंदलादोद्दी ग्रामों के गैर-वन क्षेत्रों से होते हुए जाती है जो कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा है। इसके बाद, यह अंतरराज्यीय सीमा से होते हुए स्टेशन सं. 33 (13.08644°, 78.82191°) तक पहुंचती है जो कि कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य की सीमा भी है।

अनुलग्नक – IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

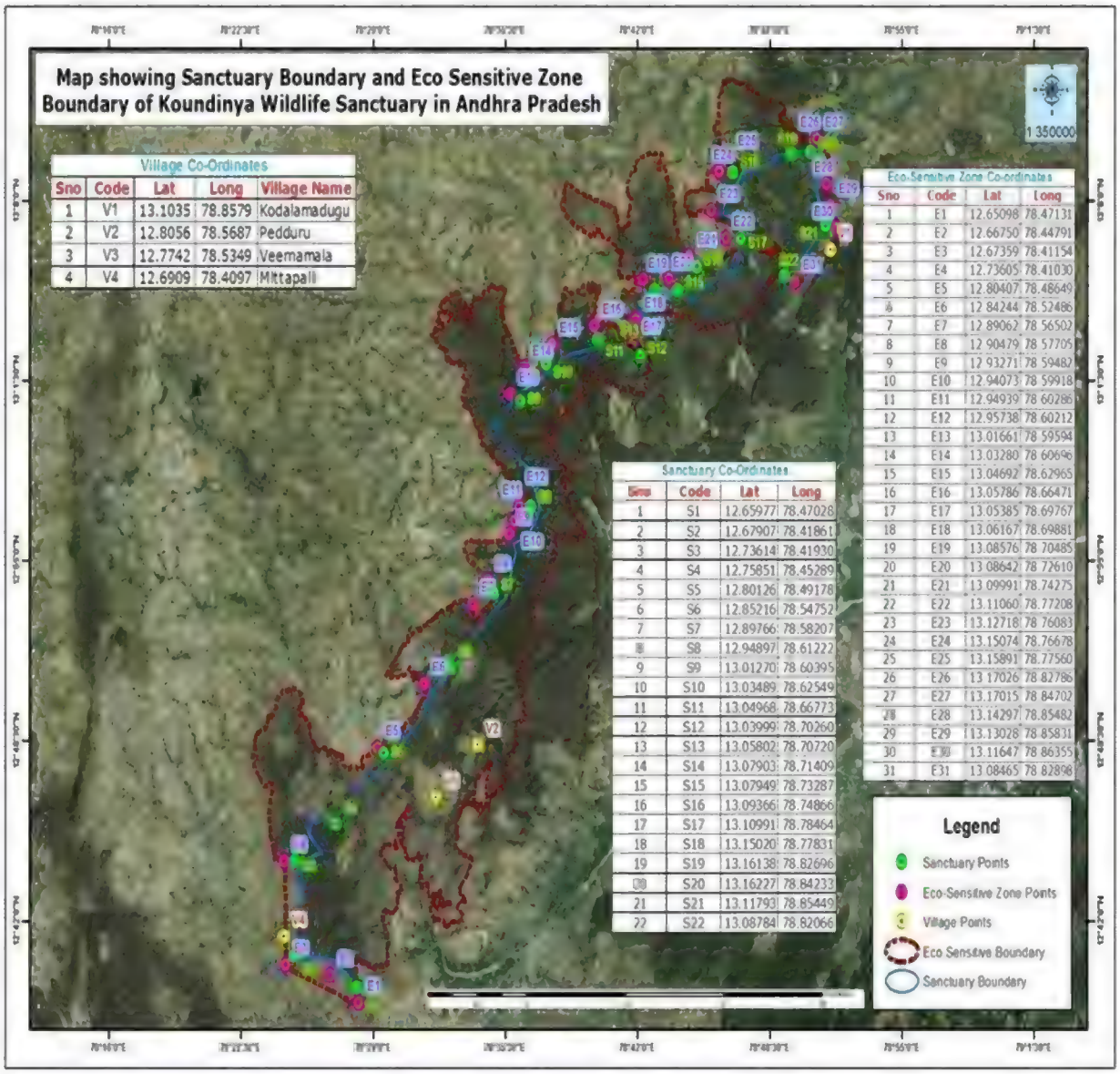

Village Co-Ordinates

Sno	Code	Lat	Long	Village Name
1	V1	13.1035	78.8579	Kodalamadugu
2	V2	12.8056	78.5687	Pedduru
3	V3	12.7742	78.5349	Veemamala
4	V4	12.6909	78.4097	Mittapalli

Sanctuary Co-Ordinates

Sno	Code	Lat	Long
1	S1	12.65977	78.47028
2	S2	12.67907	78.41861
3	S3	12.73614	78.41930
4	S4	12.75851	78.45289
5	S5	12.80126	78.49178
6	S6	12.85216	78.54752
7	S7	12.89766	78.58207
8	S8	12.94897	78.61222
9	S9	13.01270	78.60395
10	S10	13.03489	78.62549
11	S11	13.04968	78.66773
12	S12	13.03999	78.70260
13	S13	13.05802	78.70720
14	S14	13.07903	78.71409
15	S15	13.07949	78.73287
16	S16	13.09366	78.74866
17	S17	13.10991	78.78464
18	S18	13.15020	78.77831
19	S19	13.16138	78.82696
20	S20	13.16227	78.84233
21	S21	13.11793	78.85449
22	S22	13.08784	78.82066

Eco-Sensitive Zone Co-ordinates

Sno	Code	Lat	Long
1	E1	12.65098	78.47131
2	E2	12.66750	78.44791
3	E3	12.67359	78.41154
4	E4	12.73605	78.41030
5	E5	12.80407	78.48649
6	E6	12.84244	78.52486
7	E7	12.89062	78.56502
8	E8	12.90479	78.57705
9	E9	12.93271	78.59482
10	E10	12.94073	78.59918
11	E11	12.94939	78.60286
12	E12	12.95738	78.60212
13	E13	13.01661	78.59594
14	E14	13.03280	78.60696
15	E15	13.04692	78.62965
16	E16	13.05786	78.66471
17	E17	13.05385	78.69767
18	E18	13.06167	78.69881
19	E19	13.08576	78.70485
20	E20	13.08642	78.72610
21	E21	13.09991	78.74275
22	E22	13.11060	78.77208
23	E23	13.12718	78.76083
24	E24	13.15074	78.76678
25	E25	13.15891	78.77560
26	E26	13.17026	78.82786
27	E27	13.17015	78.84702
28	E28	13.14297	78.85482
29	E29	13.13028	78.85831
30	E30	13.11647	78.86355
31	E31	13.08465	78.82898

अनुलग्नक – IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र

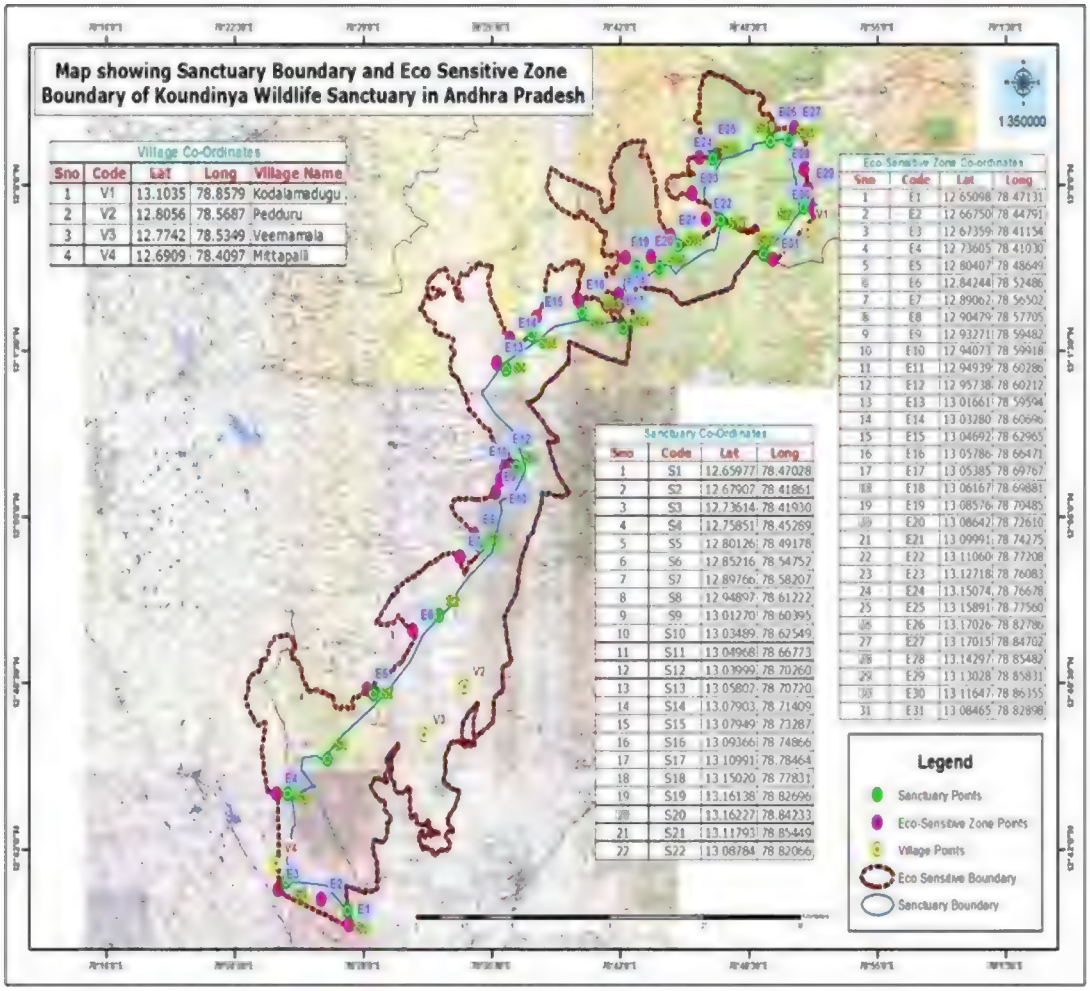

अनुलग्नक -III

सारणी क: कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	कोड	अक्षांश	देशांतर
1.	एस1	12.65977 उ	78.47028 पू
2.	एस2	12.67907 उ	78.41861 पू
3.	एस3	12.73614 उ	78.41930 पू
4.	एस4	12.75851 उ	78.45289 पू
5.	एस5	12.80126 उ	78.49178 पू
6.	एस6	12.85216 उ	78.54752 पू
7.	एस7	12.89766 उ	78.58207 पू

8.	एस8	12.94897 उ	78.61222 पू
9.	एस9	13.01270 उ	78.60395 पू
10.	एस10	13.03489 उ	78.62549 पू
11.	एस11	13.04968 उ	78.66773 पू
12.	एस12	13.03999 उ	78.70260 पू
13.	एस13	13.05802 उ	78.70720 पू
14.	एस14	13.07903 उ	78.71409 पू
15.	एस15	13.07949 उ	78.73287 पू
16.	एस16	13.09366 उ	78.74866 पू
17.	एस17	13.10991 उ	78.78464 पू
18.	एस18	13.15020 उ	78.77831 पू
19.	एस19	13.16138 उ	78.82696 पू
20.	एस20	13.16227 उ	78.84233 पू
21.	एस21	13.11793 उ	78.85449 पू
22.	एस22	13.08784 उ	78.82066 पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	कोड	अक्षांश	देशांतर
1.	ई1	12.65098 उ	78.47131 पू
2.	ई2	12.66750 उ	78.44791 पू
3.	ई3	12.67359 उ	78.41154 पू
4.	ई4	12.73605 उ	78.41030 पू
5.	ई5	12.80407 उ	78.48649 पू
6.	ई6	12.84244 उ	18.52486 पू
7.	ई7	12.89062 उ	78.56502 पू
8.	ई8	12.90479 उ	78.57705 पू
9.	ई9	12.93271 उ	78.59482 पू
10.	ई10	12.94073 उ	78.59918 पू
11.	ई11	12.94939 उ	78.60286 पू
12.	ई12	12.95738 उ	78.60212 पू
13.	ई13	13.01661 उ	78.59594 पू
14.	ई14	13.03280 उ	78.60696 पू
15.	ई15	13.04692 उ	78.62965 पू
16.	ई16	13.05786 उ	78.66471 पू
17.	ई17	13.05385 उ	78.69767 पू
18.	ई18	13.06167 उ	78.69881 पू
19.	ई19	13.08576 उ	78.70485 पू

20.	ई20	13.08642 उ	78.72610 पू
21.	ई21	13.09991 उ	78.74275 पू
22.	ई22	13.11060 उ	78.77208 पू
23.	ई23	13.12718 उ	78.76083 पू
24.	ई24	13.15074 उ	78.76678 पू
25.	ई25	13.15891 उ	78.77560 पू
26.	ई26	13.17026 उ	78.82786 पू
27.	ई27	13.17015 उ	78.84702 पू
28.	ई28	13.14297 उ	78.85482 पू
29.	ई29	13.13028 उ	78.85831 पू
30.	ई30	13.11647 उ	78.86355 पू
31.	ई31	13.08465 उ	78.82898 पू

अनुलग्नक –IV

कौण्डिन्य वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	रेंज के नाम	संलग्न ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	कुप्पम	पेड्डूर	12.805973° उ	78.567408° पू
2.	कुप्पम	नारायणपुरम	12.854099° उ	78.541906° पू
3.	कुप्पम	ननीयाला	12.852117° उ	78.560641° पू
4.	कुप्पम	अरीमनीपेंटा	12.781622° उ	78.571433°पू
5.	कुप्पम	कैनालापट्टू (रामाकुप्पम टांडा)	12.815920° उ	78.535418° पू
6.	कुप्पम	वीरनामाला	12.776305° उ	78.533787° पू
7.	कुप्पम	वीरनामाला थांडा	12.782726° उ	78.527559° पू
8.	कुप्पम	कंगुंडी	12.769337° उ	78.434740° पू
9.	कुप्पम	नयानूर	12.740197° उ	78.460788° पू

अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया विचारणीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2022

S.O. 2077(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Koundinya Wildlife Sanctuary covers an extent of 357.63 square kilometers spreading over two forest ranges i.e., Palamaner and Kuppam and five revenue mandals i.e., Kuppam, Ramakuppam, Baireddipalli, Palamaner & V.Kota of Chittoor District in the State of Andhra Pradesh;

AND WHEREAS, the Koundinya Wildlife Sanctuary has been notified by the Government of Andhra Pradesh in G.O.Ms. Number 82, Environment Forests, Science & Technology (For.III) Dated. 27.6.1998 under Section 26-A Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972). The Sanctuary is linear in shape and is running about 70 kilometers North to South with varying widths from 1 kilometer to 15 kilometers and the total periphery is about 224 kilometers. The Eastern edge of the sanctuary is bordered by forests of Tamil Nadu, the Southern side is covered by non-forest lands of Andhra Pradesh;

AND WHEREAS, the Koundinya Wildlife Sanctuary is very unique and is an important corridor for the elephants and lies on their migratory route from Tamil Nadu and Karnataka States upto Seshachalam Hills of Andhra Pradesh and lies to the southern most part of Andhra Pradesh State flanked by Tamil Nadu & Karnataka States, with 203 species of plants including trees, shrubs & herbs, 25 species of mammals, 103 species of birds, 18 species of amphibians, 18 species of reptiles and more than 396 species of invertebrates;

AND WHEREAS, the floral diversity in the Koundinya Wildlife Sanctuary ranges from dry deciduous to dry evergreen species with endemic species like Jalari (*Shorea roxburghii, S. talura*) and Tamba Jalari (*Shorea tumbuggaia*). At many places, Sandalwood (Santalum album) grows naturally as the area is a contiguous part of Mysore Plateau, a sandalwood region. Some other important plant species found in the area are *Ficus religiosa, Albizzia amara, Dendrocalamus strictus, Bambusa arundaceae*, *Ficus benghalensis*, *Ficus* sp. (Juvvi), Agave, *Feronia elephantum, Aegle marmelos, Khasi gaddi, Bikki, Ulinja, Alli, Kalivi, Diospyros melanoxylyn, Manjifera, Commithora coudata (Metta mamidi), Dioscorea pentaphylla, Madhuka indica, Zizyphus oenoplia, Zizyphus zuzuba, Emblica afficinalis;*

AND WHEREAS, the major fauna found in the area are leopard (*Panthera pardus)*, jungle cat (*Felis chaus)*, hyena (*Hyaena hyaena)*, sloth bear (*Melursus ursinus)*, Indian fox (*Vulpes bengalensis)*, golden jackal (*Canis aureus)*, wild dog (*Cuon alpines)*, wolf *(Canis lupus),* grey mongoose *(Herpestes edwardsii),* Small indian civet *(Vierricula indica),* common palm civet *(Paradoxurus hermaphroditus),* Indian flying fox *(Pteropus giganteus)* ,Indian pangolin *(Manis crassicaudata),* Indian porcupine *(Hystrix indica),* three-striped palm squirrel *(Funambulus*

palmarum), blacknaped hare *(Lepus nigricollisnigricollis),* Asian elephant *(Elephas maximus)* Indian wild boar (*Sus scrofa)*, chowsingha *(Tetracerus quadricornis)*, spotted deer*(Axis axis)* barking deer (*Muntiacus muntjak)*, mouse deer (*Moschiola memmina)*, bonnet macaque *(Macaca radiata),* hunuman langur *(Semnopithecus entellus),* slender loris *(Loris lyddekerianus);*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Koundinya Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1 kilometer to 12 kilometres around the boundary of Koundinya Wildlife Sanctuary, in the State of Andhra Pradesh as the Koundinya Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1)The Eco-sensitive Zone shall be to the extent of 1 kilometer to 12 kilometres around the boundary of Koundinya Wildlife Sanctuary of the Eco-sensitive Zone is 315.84 square kilometres. The Eco-Sensitive Zone is limited to Andhra Pradesh and is not transversing to Tamil Nadu.

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone around Koundinya Wildlife Sanctuary is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Koundinya Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, and Annexure-IIB**

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Koundinya Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. -(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipal;

x. Panchayat Raj; and

xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at Para 6(3) and 6(4).

3. **Measures to be taken by the State Government**. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial Use of Firewood.	Prohibited.
9.	Felling of trees.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and

	existing roads and construction of new roads.	regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of explosives for developmental activities	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain Water Harvesting	Shall be actively promoted
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Sub- Collector, Madanapalle	Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of Wildlife Conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	An expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(v)	Forest Range Officer, Palamaner	Member;
(vi)	Forest Range Officer, Kuppam	Member;
(vii)	Divisional Panchayat Officer, Madanapalle	Member;
(viii)	Engineer , Pollution Control Borad, Tirupati	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Chittoor,West Division,	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders. -The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribun.

[F. No. 25/9/2021-ESZ]

S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KOUNDINYA WILDLIFE SANCTUARY, ANDHRA PRADESH

South (1 to 3) :-

The Eco-Sensitive Zone boundary line starts from station No.1, (with GPS co-ordinates 12.65839° N, 78.47115° E) which is located on Interstate boundary of Tamilnadu-Andhra Pradesh States, and also the southern most corner of Compt.No. 335 of Kangundi RF of Kuppam Range. Thence this line runs towards Southern direction along the Interstate boundary upto station No.2 (12.64907° N, 78.47186° E), and then in North-West direction (via 12.665787, 78.44878) upto station No.3 (12.67216° N, 78.41274° E) at distance of 1 Kilometer from the boundary of the sanctuary.

West (3 to 13):-

Thence the Eco-Sensitive Zone boundary line runs towards Northern direction from Station No.3 to Station No.4 (12.73463° N, 78.41150° E) through non-forest areas of Vepur & Mittapalli villages parallel to the boundary of the sanctuary at a distance of 1 kilometer. And then from Station No. 4 the line runs towards North-Westerly direction all along the Kangundi RF Boundary in Compt.No.345,346, 347 and then North-Easterly direction along Compt.No. 348 and then South-Easterly direction along Compt.No. 349, 350, 351, 352 and then North-Easterly along compt.No. 359 upto Station No. 5 (12.80265, 78.48770). Then passes through non-forest areas of Ippalavaram, Jidimakulapalli villages to reach station No.6 (12.84103, 78.52608) parallel to the boundary of the sanctuary at a distance of 1 Km and then the boundary line runs towards North-Westerly direction all along the Pedduru Extn RF Boundary in Compt.No.372 and then North-Easterly direction along Compt.No. 373 to reach station No. 7 (12.88921, 78.56624). Then from Station No. 7 it runs to station No.8 (12.90338, 78.57827) through non-forest areas of Gollapalli & Kotturu Villages at a distance of 1 Kilo meter from the boundary of the Koundinya Wildlife Sanctuary. Then it runs all along the Pedduru Extn RF boundary in compt. Nos. 375, 376 upto station No. 9 (12.93130, 78.59604). Thence the boundary line passes along the reserve forest boundary upto station No. 10 (12.93932, 78.60041) and from there it runs through Station No.11 (12.94798, 78.60409) upto Station No.12(12.95597, 78.60335) through non-forest areas of Lingapuram village & Jitlagutta vanka parallel to the sanctuary boundary at a distance of 1 Kilometer. Thence the boundary line runs all along the PND RF boundary in Compt.Nos 257, 256, 255, 253, 252, 251 and Thotakanuma RF in Compt.No. 246, 245 upto Station No. 13 (13.06344, 78.53835).

North (13 to 27) :-

Thence the boundary line runs from Station No. 13 all along the Thotakanuma RF boundary in Compt.Nos. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 259 upto Station No. 14 (13.03140, 78.60819). Thence the boundary line runs through non-forest areas of Engamvaripalli village upto Station No. 15 (13.04552, 78.63088) parallel to the sanctuary boundary at a distance of 1 kilometer. Thence the boundary line runs all along the Nellipatla RF boundary in compt.Nos 264, 265, 266, 267 upto Station No. 16 (13.05646, 78.66594). Thence the boundary line runs through non-forest areas of Thimmayagaripalli, Nallaguntapalli, Ragunayakuladinne villages through Station No.17 (13.05245, 78.69891) upto Station No. 18 (13.06027, 78.70005) parallel to the boundary of the sanctuary at a distance of 1 Km, and thence it runs all along the Veerlabanda RF boundary in Compt.No. 288, 289, 287, 286 and all along the Basivireddipalli RF boundary in compt.No. 278, 277, 276 upto station No. 19 (13.142659, 78.642862) & Station No.20 (13.159136, 78.721303) all along the Basivireddipalli 'A' RF in Compt.No. 281, 282, 283 & Basivireddipalli 'B' RF in Compt.No. 280, 284 till Station No. 21 (13.09851, 78.74399). Then passes through non-forest areas of Maddipeta, Kottur villages parallel to the boundary of Sanctuary at a distance of 1 Km to reach station No. 23 (13.12579, 78.76208) via station No.22(13.10920, 78.77333). Thence the boundary line runs all along the Musalimadugu Extn RF in Compt.No. 296 to reach station No. 24 (13.14935, 78.76803) where it leaves reserve forest and runs upto station No. 25 (13.15752, 78.77685°) through non-forest areas at a distance of 1 km from the boundary of the Koundinya Wildlife Sanctuary. Thence the boundary line runs all along the Palamaner RF in Compt.Nos.307, 308, 309 upto Station No. 26 (13.20397, 78.76999) then it runs upto black top road (Chittoor to Palamaner) to reach point No. 27 (13.18684, 78.82212) along the Compt.Nos. 309 & 384.

East (27 to 33) :-

Thence the line runs all along the RF boundaries of Tekumanda & Extn RF in Compt.No. 384, 305 upto Station No. 28 (13.16914, 78.82888). Thence the line runs parallel to the boundary of the sanctuary upto Station No. 29 (13.14158, 78.85608) where it enters forest areas and runs upto Station No. 30 (13.12889, 78.85957) through forest areas of Compt. No. 199. Thence the line runs through non-forest areas of Kiramanda, Kodalamadugu, Bandladoddi villages at a distance of 1 Km from the boundary of the sanctuary through station No. 31 (13.11507°, 78.86481°) to reach station No. 32 (13.08325°, 78.83023°) which is the interstate boundary of Tamilnadu & Andhra Pradesh states. Then it runs along the interstate boundary to reach Station No. 33 (13.08644°, 78.82191°) which is also the boundary of Koundinya Wildlife Sanctuary.

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KOUNDINYA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

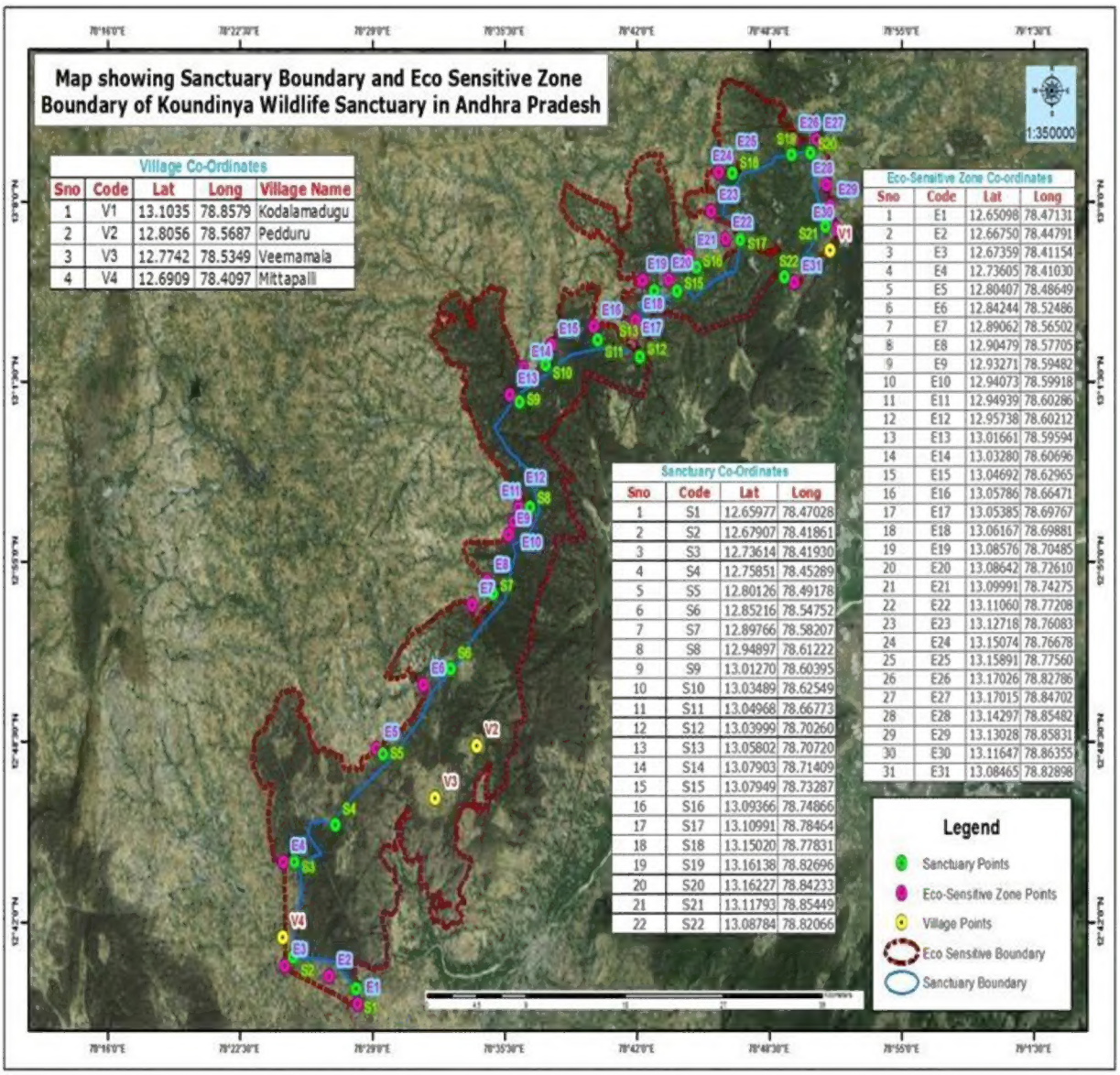

Village Co-Ordinates

Sno	Code	Lat	Long	Village Name
1	V1	13.1035	78.8579	Kodalamadugu
2	V2	12.8056	78.5687	Pedduru
3	V3	12.7742	78.5349	Veemamala
4	V4	12.6909	78.4097	Mittapalli

Sanctuary Co-Ordinates

Sno	Code	Lat	Long
1	S1	12.65977	78.47028
2	S2	12.67907	78.41861
3	S3	12.73614	78.41930
4	S4	12.75851	78.45289
5	S5	12.80126	78.49178
6	S6	12.85216	78.54752
7	S7	12.89766	78.58207
8	S8	12.94897	78.61222
9	S9	13.01270	78.60395
10	S10	13.03489	78.62549
11	S11	13.04968	78.66773
12	S12	13.03999	78.70260
13	S13	13.05802	78.70720
14	S14	13.07903	78.71409
15	S15	13.07949	78.73287
16	S16	13.09366	78.74866
17	S17	13.10991	78.78464
18	S18	13.15020	78.77831
19	S19	13.16138	78.82696
20	S20	13.16227	78.84233
21	S21	13.11793	78.85449
22	S22	13.08784	78.82066

Eco-Sensitive Zone Co-ordinates

Sno	Code	Lat	Long
1	E1	12.65098	78.47131
2	E2	12.66750	78.44791
3	E3	12.67359	78.41154
4	E4	12.73605	78.41030
5	E5	12.80407	78.48649
6	E6	12.84244	78.52486
7	E7	12.89062	78.56502
8	E8	12.90479	78.57705
9	E9	12.93271	78.59482
10	E10	12.94073	78.59918
11	E11	12.94939	78.60286
12	E12	12.95738	78.60212
13	E13	13.01661	78.59594
14	E14	13.03280	78.60696
15	E15	13.04692	78.62965
16	E16	13.05786	78.66471
17	E17	13.05385	78.69767
18	E18	13.06167	78.69881
19	E19	13.08576	78.70485
20	E20	13.08642	78.72610
21	E21	13.09991	78.74275
22	E22	13.11060	78.77208
23	E23	13.12718	78.76083
24	E24	13.15074	78.76678
25	E25	13.15891	78.77560
26	E26	13.17026	78.82786
27	E27	13.17015	78.84702
28	E28	13.14297	78.85482
29	E29	13.13028	78.85831
30	E30	13.11647	78.86355
31	E31	13.08465	78.82898

ANNEXURE- IIB

TOPOSHEET MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KOUNDINYA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

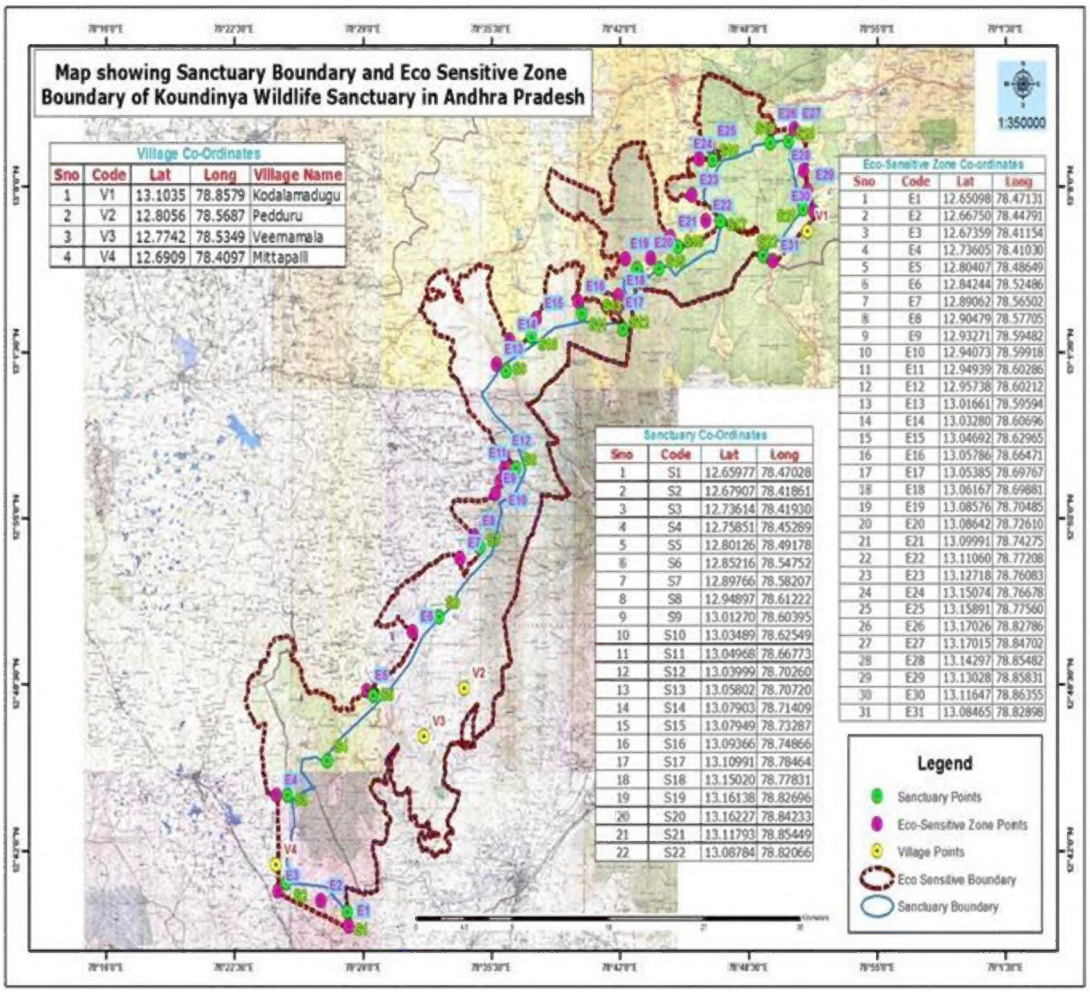

ANNEXURE- III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KOUNDINYA WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	Code	Latitude	Longitude
1	S1	12.65977 N	78.47028 E
2	S2	12.67907 N	78.41861 E
3	S3	12.73614 N	78.41930 E
4	S4	12.75851 N	78.45289 E
5	S5	12.80126 N	78.49178 E
6	S6	12.85216 N	78.54752 E
7	S7	12.89766 N	78.58207 E
8	S8	12.94897 N	78.61222 E
9	S9	13.01270 N	78.60395 E
10	S10	13.03489 N	78.62549 E

11	S11	13.04968 N	78.66773 E
12	S12	13.03999 N	78.70260 E
13	S13	13.05802 N	78.70720 E
14	S14	13.07903 N	78.71409 E
15	S15	13.07949 N	78.73287 E
16	S16	13.09366 N	78.74866 E
17	S17	13.10991 N	78.78464 E
18	S18	13.15020 N	78.77831 E
19	S19	13.16138 N	78.82696 E
20	S20	13.16227 N	78.84233 E
21	S21	13.11793 N	78.85449 E
22	S22	13.08784 N	78.82066 E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO- SENSITIVE ZONE

S. No.	Code	Latitude	Longitude
1	E1	12.65098 N	78.47131 E
2	E2	12.66750 N	78.44791 E
3	E3	12.67359 N	78.41154 E
4	E4	12.73605 N	78.41030 E
5	E5	12.80407 N	78.48649 E
6	E6	12.84244 N	18.52486 E
7	E7	12.89062 N	78.56502 E
8	E8	12.90479 N	78.57705 E
9	E9	12.93271 N	78.59482 E
10	E10	12.94073 N	78.59918 E
11	E11	12.94939 N	78.60286 E
12	E12	12.95738 N	78.60212 E
13	E13	13.01661 N	78.59594 E
14	E14	13.03280 N	78.60696 E
15	E15	13.04692 N	78.62965 E
16	E16	13.05786 N	78.66471 E
17	E17	13.05385 N	78.69767 E
18	E18	13.06167 N	78.69881 E
19	E19	13.08576 N	78.70485 E
20	E20	13.08642 N	78.72610 E
21	E21	13.09991 N	78.74275 E
22	E22	13.11060 N	78.77208 E
23	E23	13.12718 N	78.76083 E
24	E24	13.15074 N	78.76678 E

25	E25	13.15891 N	78.77560 E
26	E26	13.17026 N	78.82786 E
27	E27	13.17015 N	78.84702 E
28	E28	13.14297 N	78.85482 E
29	E29	13.13028 N	78.85831 E
30	E30	13.11647 N	78.86355 E
31	E31	13.08465 N	78.82898 E

ANNEXURE –IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KOUNDINYA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Name of the Range	Name of the enclosure village	Latitude	Longitude
1	Kuppam	Peddur	12.805973° N	78.567408° E
2	Kuppam	Narayanapuram	12.854099° N	78.541906° E
3	Kuppam	Naniyala	12.852117° N	78.560641° E
4	Kuppam	Arimanipenta	12.781622° N	78.571433°E
5	Kuppam	Kainalapattu (Ramakuppam Tanda)	12.815920° N	78.535418° E
6	Kuppam	Veernamala	12.776305° N	78.533787° E
7	Kuppam	Veernamala Thanda	12.782726° N	78.527559° E
8	Kuppam	Kangundi	12.769337° N	78.434740° E
9	Kuppam	Nayanur	12.740197° N	78.460788° E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act,1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.05 22:06:44 +05'30'